

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

वेबसाईट : www.gmcbhopal

Phone Number – 0755 - 4050000

क्रमांक. 10076-96/एम.सी/एन.एच.एम. (6)/2021

भोपाल, दिनांक : 08/04/2021

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म. प्र. के पत्र क्रमांक एन.एच.एम./एच.आर/सेल-01/2021/5154, दिनांक 19-03-2021 के संदर्भानुसार कोविड – 19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु एवं बढ़ते हुए प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को 10 एम.एम.यू.टीम. के लिये अतिरिक्त मानव संसाधन की अस्थाई स्वीकृति, मासिक मानदेय के आधार पर दिनांक 31-05-2021 तक प्रदान की गई है। जिसके लिये विज्ञप्ति क्रमांक 8633/अधि./एन.एच.एम. (6)/2021, भोपाल, दिनांक 30-03-2021 को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल पर प्रकाशित किया गया था।

दिनांक 01-04-2021 से 05-04-2021 से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की एम.एम.यू.टीम. के चिकित्सा अधिकारी पद के लिये किये गये वॉक इन इन्टरव्यू कर, निम्नलिखित दंत चिकित्सकों का चयन निश्चित मानदेय पर रू. 25,000/- पर नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम	पिता का नाम
01.	डॉ. मनीषा मजोके	श्री. माखन सिंह मजोके
02.	डॉ. संदीप लोखण्डे	श्री. एम. के लोखण्डे
03.	डॉ. प्रियंका मिश्रा	श्री. प्रदीप मिश्रा
04.	डॉ. मनीष डहेरिया	श्री. राम चरण डहेरिया
05.	डॉ. प्रिया सागर	श्री. सियाराम सागर
06.	डॉ. लोहरी श्रीवास्तव	श्री. आर.के. श्रीवास्तव
07.	डॉ. संजुला चतुर्वेदी	श्री. एस.के. चतुर्वेदी
08.	डॉ. सोनिया मालवीया	श्री. बाबू लाल मालवीया
09.	डॉ. प्रशान्त ठाकुर	श्री. कन्हैया सिंह ठाकुर
10.	डॉ. दीप्ती तौमर	श्री. जयनैन्द्र सिंह तौमर

सेवा शर्तें

1. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल होंगे।
2. यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में दिनांक 31-05-2021 तक के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तत्पश्चात् बिना आदेश प्राप्त किये निरंतर कार्य पर बने रहने पर अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी तरह के मानदेय के लिये प्राप्त नहीं होगा।

3. इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहा किया जायेगा।
4. अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ, अनुबंध एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध करा कर ही सेवा प्रदाता कार्य दायित्व संभालेगा।
5. अनुबंध (रु. 500/- स्टाम्प) निष्पादन करने वाला व्यय संबन्धित सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
6. किसी भी तरह की असत्य जानकारी अनुशासनहीनता और कार्यस्थल की गोपनीयता भंग करने पर या अपराधीक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिती अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यलय की एन.एच.एम. शाखा में पत्र जारी होने के दो दिवस में अनुबंध और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक...../एम.सी/एन.एच.एम. (6)/2021 भोपाल, दिनांक :/...../2021
प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल आपके सन्दर्भित पत्र के संदर्भ में।
6. संभागयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल
8. अपर संचालक आई.डी.एस.पी. संचलानलय स्वास्थ्य सेवाए।
9. उप संचालक मानव संसाधन/लीगल एन.एच.एम. म.प्र. भोपाल।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल।
11. अधीक्षक, आर.आर.आई.डी. (क्षय) चिकित्सालय भोपाल।
12.संबन्धित कर्मचारी।
13. आदेश नस्ती।

॥
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल